

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 750 / 04

संस्थित दि.: 17 / 09 / 04

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. गणेश पिता भैयालाल सोनवाने, उम्र 29 वर्ष,
 साकिन बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)
2. प्रेमलाल पिता चुन्नीलाल बिसेन, उम्र 32 वर्ष,
 साकिन जत्ता, बैहर तह. बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)(पूर्व निर्णित)

..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 28 / 05 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप है कि आरोपी गणेश ने दिनांक 07 / 04 / 04 की दरम्यानी रात्रि ग्राम जत्ता थाना अन्तर्गत बैहर में प्रार्थी खुमेश की छपरी से एक खाट की रस्सी बुनी 250 / —, एक बाल्टी लोहे की 300 / —, एक पीतल का गंज 400 / —, एक करछी 100 / —, एक सिलबट्टा 90 / —, कुल कीमती 1140 / — रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदाप अभिलाभ करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.05.2004 की रात्री प्रार्थी खाना खा पीकर परिवार सहित सो गया था, सुबह उठा तो देखा छपरी में रखी रस्सी की बुनी एक खाट, टिन की बाल्टी, एक पीतल गंज वजनी करीबन 2 किलो किमती 400 / — एक कलई की करछी किमती 100 / — तथा सिलबट्टा किमती 90 / — के नहीं थे, किसी चोर ने चोरी कर ले गये, पीतल गंज में प्रार्थी की पत्नि ज्योती का नाम खुदा था, गांव में पता चला कि आरोपी प्रेमलाल पंवार एवं गन्नू गोवारा ने चोरी कर ले गये, दोनों को पूछताछ के लिये थाना ले जा रहे थे कि दोनों झटका देकर छुटकर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र बैहर के अपराध क्रमांक 130 / 04 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण से चोरी का सामान जप्त कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत यह अभियोग पर न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

निरन्तर.....05

- (04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।
- (05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 07/04/04 की दरम्यानी रात्रि ग्राम जत्ता थाना अन्तर्गत बैहर में प्रार्थी खुमेश की छपरी से एक खाट की रस्सी बुनी 250/-, एक बाल्टी लोहे की 300/-, एक पीतल का गंज 400/-, एक करछी 100/-, एक सिलबट्टा 90/-, कुल कीमती 1140/- रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) फरियादी खुमेश (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। उसके घर की छपरी में से एक सिलबट्टा, पीतल की गंजी, कढ़ाई और खाट चोरी हो गये थे। पीतल की गंजी पर उसकी पत्नि का नाम ज्योति लिखा हुआ है। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में लिखायी थी जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस जांच करने आई थी व मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्षी खेमराज (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। उसकी छपरी से एक रस्सी बुनी हुई खाट, सिलबट्टा एवं पीतल की गंजी चोरी हो गई थी।

(07) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए विवेचनाकर्ता सहायक उपनिरीक्षक अन्नीलाल सरयाम (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 16.07.2004 को अपराध क्रमांक 130/04 अन्तर्गत धारा 379/34 के विवेचना के दौरान दिनांक 20.07.2004 को घटनास्थल पर जाकर लक्ष्मीप्रसाद की निशादेही पर प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.07.2004 को आरोपी प्रेमलाल से एक सिलबट्टा एक टीन की बाल्टी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी प्रेमलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 19.08.2004 को आरोपी गणेश को गवाहों के समक्ष पूछताछ की थी, जिसका मेमोरण्डम उसके द्वारा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 बनाया था। विवेचना के दौरान साक्षी खुमेश, लक्ष्मीप्रसाद, खेमराज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

(08) किन्तु अभियोजन साक्षी संतोष कुमार (अ.सा.06) का कहना है कि उसके कथन के चार-पांच वर्ष पहले सरयाम साहब उसे नेने ग्राम जत्ता ले गये थे। वहां उससे एक खटिया, गुंडी की जप्ती बनाई थी और कहा था कि हस्ताक्षर कर दो तो उसने प्रदर्श पी-7 पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उसके सामने पूछताछ नहीं हुई थी। खटिया और गुन्डी किसने कहा से लाकर दी, उसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी करण दास (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने कोई से पूछताछ नहीं की थी, किन्तु मेमो कथन प्रदर्श पी-4 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा कपिल (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसके सामने आरोपी ने कोई बयान नहीं दिया था। न ही कोई चोरी के संबंध में बताया था, प्रदर्श पी-4 पर उसने हस्ताक्षर कहां और कब किये थे उसे याद नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से बाल्टी जप्त नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर है।

(09) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। मात्र विवेचना कर्ता के प्रकरण को बनाये रखने हेतु कथन किये हैं, जिसका जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम के साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। फरियादी एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन युक्ति-युक्त सन्देह से यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी गणेश ने दिनांक 07/04/04 की दरम्यानी रात्रि ग्राम जत्ता थाना अन्तर्गत बैहर में प्रार्थी खुमेश की छपरी से एक खाट की रस्सी बुनी 250/-, एक बाल्टी लोहे की 300/-, एक पीतल का गंज 400/-, एक करछी 100/-, एक सिलबट्टा 90/-, कुल कीमती 1140/- रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित की। अभियोजन का प्रकरण संदेहास्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया। विवेचनाकर्ता सहायक उपनिरीक्षक अन्तीलाल सरयाम (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 16.07.2004 को अपराध क्रमांक 130/04 अन्तर्गत धारा 379/34 के विवेचना के दौरान दिनांक 20.07.2004 को घटनास्थल पर जाकर लक्ष्मीप्रसाद की निशादेही पर प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.07.2004 को आरोपी प्रेमलाल से एक सिलबट्टा एक टीन की बाल्टी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी प्रेमलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 19.08.2004 को आरोपी गणेश को गवाहों के समक्ष पूछताछ की थी, जिसका मेमोरेण्डम उसके द्वारा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 बनाया था।

विवेचना के दौरान साक्षी खुमेश, लक्ष्मीप्रसाद, खेमराज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

(11) किन्तु अभियोजन साक्षी संतोष कुमार (अ.सा.06) का कहना है कि उसके कथन के चार-पांच वर्ष पहले सरयाम साहब उसे नेने ग्राम जत्ता ले गये थे। वहां उससे एक खटिया, गुंडी की जप्ती बनाई थी और कहा था कि हस्ताक्षर कर दो तो उसने प्रदर्श पी-7 पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उसके सामने पूछताछ नहीं हुई थी। खटिया और गुन्डी किसने कहा से लाकर दी, उसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी करण दास (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सानमे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने कोई से पूछताछ नहीं की थी, किन्तु मेमो कथन प्रदर्श पी-4 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कपिल (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसके सामने आरोपी ने कोई बयान नहीं दिया था। न ही कोई चोरी के संबंध में बताया था, प्रदर्श पी-4 पर उसने हस्ताक्षर कहां और कब किये थे उसे याद नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से बाल्टी जप्त नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर है।

(12) फरियादी खुमेश (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। उसके घर की छपरी में से एक सिलबट्टा, पीतल की गंजी, कढ़ाई और खाट चोरी हो गये थे। पीतल की गंजी पर उसकी पत्नि का नाम ज्योति लिखा हुआ है। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में लिखायी थी जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस जांच करने आई थी व मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं अभियोजन साक्षी खेमराज (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। उसकी छपरी से एक रस्सी बुनी हुई खाट, सिलबट्टा एवं पीतल की गंजी चोरी हो गई थी, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि चोरी आरोपी द्वारा की गई उसने ऐसा नहीं बताया था तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-2 घटनास्थल के मौका नक्शा पर थाने में ही हस्ताक्षर किये थे।

(13) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी विवेचनाकर्ता अन्नीलाल सरयाम (अ.सा.05) ने बताया है कि उसने दिनांक 16.07.2004 को अपराध क्रमांक 130 / 04 अन्तर्गत धारा 379 / 34 के विवेचना के दौरान दिनांक 20.07.2004 को घटनास्थल पर जाकर लक्ष्मीप्रसाद की निशादेही पर प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.07.2004 को आरोपी प्रेमलाल से एक सिलबट्टा एक टीन की बाल्टी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी प्रेमलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 19.08.2004 को आरोपी गणेश को गवाहों के समक्ष पूछताछ की थी, जिसका मेमोरेण्डम उसके द्वारा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 बनाया था। विवेचना के दौरान साक्षी खुमेश, लक्ष्मीप्रसाद, खेमराज के कथन उनके

बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सुमेरसिंह (अ. सा.03), कपिल (अ.सा.04), करणदास (अ.सा.07), सतोष (अ.सा.06) ने विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन नहीं किया तथा साक्षी खुमेश, खेमराज के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास होने से अभियोजन का प्रकरण यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी गणेश ने दिनांक 07/04/04 की दरम्यानी रात्रि ग्राम जत्ता थाना अन्तर्गत बैहर में प्रार्थी खुमेश की छपरी से एक खाट की रस्सी बुनी 250/—, एक बाल्टी लोहे की 300/—, एक पीतल का गंज 400/—, एक करछी 100/—, एक सिलबट्टा 90/—, कुल कीमती 1140/— रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी कारित।

(14) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी गणेश ने दिनांक 07/04/04 की दरम्यानी रात्रि ग्राम जत्ता थाना अन्तर्गत बैहर में प्रार्थी खुमेश की छपरी से एक खाट की रस्सी बुनी 250/—, एक बाल्टी लोहे की 300/—, एक पीतल का गंज 400/—, एक करछी 100/—, एक सिलबट्टा 90/—, कुल कीमती 1140/— रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से सदोष अभिलाभ करने के आशय से उसके कब्जे से हटाकर चोरी किया।

(15) परिणाम स्वरूप आरोपी **गणेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379** के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(16) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आरोपी के जेल वारंट पर आरोपी को रिहा किए जाने बाबद् टीप अंकित की जावे।

(17) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति, सम्पत्ति के स्वामी को विधिवत् लौटाई जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)